पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 42/2021

1. विजयपाल पुत्र इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा। :-वादी

ब ना म

1. इन्द्रसिंह पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. सत्यवान पुत्र इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. एसबीआई शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम करवां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 5/9 के खसरा सं0 239 की 4.1750है0, खसरा सं0 274 की 8.2600है0, खसरा सं0 288 की 0.2020है0, खसरा सं0 291 की 0.6580है0 कुल 13.2950है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विजयपाल व प्रतिवादी सं0 2 सत्यवान को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 42/2021

1. विजयपाल पुत्र इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा। :-वादी

ब ना म

1. इन्द्रसिंह पुत्र नत्थूराम जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा।
2. सत्यवान पुत्र इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मेहरिया त0 भादरा।
3. एसबीआई शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री खेताराम कस्वां: वादी
वकील श्री अमित देहडू : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 25.06.21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 5/9 के खसरा सं0 239 की 4.1750है0, खसरा सं0 274 की 8.2600है0, खसरा सं0 288 की 0.2020है0, खसरा सं0 291 की 0.6580है0 कुल 13.2950है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता नत्थराम की खातेदारी हुआ करती थी। नत्थूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही वनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु विजयपाल [illegible] इन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी मेहरिया के बयान करवाये गये। [illegible] जमाबंदी रोही मेहरिया संवत 2077–80 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मेहरिया [illegible] 2057–60 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2075–78 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही गांव [illegible] उप तहसील बालसमंद (हरियाणा) वर्ष 2013–14 प्रदर्श 4 व 5, वारिस प्रमाण पत्र [illegible] पंचायत शेरडा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मेहरिया व शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में इन्द्रसिंह के दो पुत्र सत्यवान व विजयपाल के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही गावड उपतहसील बालसमंद जिला हिसार के खेवट या जमाबंदी सं0 268/246 खतौनी 361 व रोही शेरडा के खाता सं0 4/5 की कुल 16.4280है0 में प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह व मनोज पि0 नत्थूरा का 178 हिस्सा यानि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 89 हिस्सा यथावत रखते हुए रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 5/9 के खसरा सं0 239 की 4.1750है0, खसरा सं0 274 की 8.2600है0, खसरा सं0 288 की 0.2020है0, खसरा सं0 291 की 0.6580है0 कुल 13.2950है0 बारानी खातदेारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेहरिया के खाता सं0 5/9 के खसरा सं0 239 की 4.1750है0, खसरा सं0 274 की 8.2600है0, खसरा सं0 288 की 0.2020है0, खसरा सं0 291 की 0.6580है0 कुल 13.2950है0 बारानी खातदेारी प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 इन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी विजयपाल व प्रतिवादी सं0 2 सत्यवान को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner